न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 76/2023

वादीगण	**बनाम** **प्रतिवादीगण**
1. डिप्टी सिह पुत्र सरजीत सिह निवासी चक 46 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. अमरजीत कौर पत्नी दर्शन सिह जाति जटसिख निवासी चक 46 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. रघुवीर सिह पुत्र मलकीयत सिह निवासी चक 46 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-06.06.2023

उपस्थित: **1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण**

--निर्णय-- **दिनांक: 07.06.2023**

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि चक 46 एफ, पटवार मण्डल 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरनपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 3/2, 68/53, 82/77 मे नहरी भूमि वादीगण व प्रतिवादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पक्षकारान एक ही गांव व परिवार के सदस्यगण है। पक्षकारान का उक्त भूमि पर काफी वर्षो से बंटवारा हो रखा है। वाहमी बंटवारा अनुसार डिप्टी सिह पुत्र सरजीत सिह का कब्जा काश्त चक 46 एफ तहसील श्री करनपुर की चार साला जमा0 स0 2074 से 2077 के खाता स0 82/77 मे मुरबा नबर 39 मे किला नबर 11 मे 0.1810 हे0 दक्षिण की दिशा मे , 12 मे 0.1810 हे0 दक्षिण की दिशा मे , 13 मे 0.2110 हे0 दक्षिण की दिशा मे , 14/1 मे 0.1020 हे0 दक्षिण की दिशा मे , 15/2 मे 0.0780 हे0 दक्षिण की दिशा मे कुल 0.7530 हे0 नहरी भुमि व खाता स0 68/53 मे मुरबा नबर 17 मे किला नबर 4/2 ,5 ,6/1 मे कुल 0.4660 हे0 नहरी व मुरबा नबर 85/37 मे किला नबर 0 मे 0.040 हे0 खाला भुमि दोनो खाता मे कुल 1.2590 हे0 नहरी भुमि पर है। रघुवीर सिह पुत्र मलकीयत सिह का कब्जा काश्त चक 46 एफ तहसील श्री करनपुर की चार साला जमा0 स0 2074 से 2077 के खाता स0 82/77 मे मुरबा नबर 39 मे किला नबर 11 मे 0.0220 हे0 दक्षिण की दिशा मे , 12 मे 0.0220 हे0 दक्षिण की दिशा मे ,13 मे 0.0230 हे0 दक्षिण की दिशा मे , 14/1 मे 0.0230 हे0 दक्षिण की दिशा मे , 15/2 मे 0.0230 हे0 दक्षिण की दिशा कुल 0.1130 हे0 नहरी भुमि व खाता स0 3/2 मे मुरबा नबर 39 मे किला नबर 24/1 ,25 मे कुल 0.3930 हे0 नहरी भुमि कुल 0.5060 [illegible] भुमि पर है। इस प्रकार से पक्षकारान का उपरोक्तानुसार वर्णित भुमि पर [illegible] समय से शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चले [illegible] रहे है। उक्त किलाजात के अनुसार पक्षकारान का लिखित [illegible] 13.05.2023 भी निष्पादितशुदा है। पक्षकारान पारस्परिक [illegible] अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त कृषि भूमि पक्षकारान के नाम से अलग-अलग खाता में वर्णित है और राजस्व अभिलेख के अनुसार उनका कब्जा व काश्त एक दूसरे के मुरब्बाजात व खाताजात में है। इस कारण राजस्व रिकार्ड में वर्णित भूमि पर वादीगण का कब्जा बंटवारानामा मुताबिक नही होने के कारण पक्षकारान को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

(राजस्व)

अधिकारी (राजस्व)

पक्षकारान को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण पक्षकारान अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा पक्षकारान के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से पक्षकारान अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन व लिखित बंटवारानामा के अनुसार कब्जा शुदा भूमि का अंकन अपने-अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में कब्जानुसार दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादी सख्या 2 द्वारा हर समय पारिवारिक परेशानियों व व्यस्तता के कारण साफ इंकार कर रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर लिखित बंटवारानामा दिनांक 13.05.2023 अनुसार वादीगण के नाम अलग से खाता तकसीम किए जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित आए व जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया। जवाबदावा मय प्रतिदावा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिवादा स्वीकार किया जाकर चक 46 एफ तहसील श्री करनपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के खाता संख्या 82/77 मे मुरबा नबर 39 मे किला नबर 8/3 मे 0.0480 हे0 ,9/2 मे 0.1130 हे0 ,10/1 मे 0.1130 हे0 ,11 मे 0.050 हे0 उत्तर की दिशा मे, 12 मे 0.050 हे0 उत्तर की दिशा मे , 13 मे 0.0190 हे0 उत्तर की दिशा मे कुल 0.3930 हे0 नहरी भुमि व मुरबा नबर 63 मे किला नबर 1 ,2 ,3/2 मे 0.6460 है0 नहरी भुमि दोनो खातो मे कुल 1.0390 हे0 नहरी भुमि का खाता व लगान अलग से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तकसीम किए जाने के आदेश प्रदान करे। नकल जवाबदावा मय प्रतिवादा वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रतिदावा पर अनापत्ति जाहिर की। सामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। वादीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण खाता व लगान अलग से कायम किए जाने बाबत पेश किया है। परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत चक 46 एफ, पटवार मण्डल 46 एफ मौडा तहसील श्री[illegible] जमावंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 3/[illegible] 68/53, 82/[illegible] एकल संयुक्त नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 53(2) अनुसार [illegible] का विभाजन सह अभिधारियो के बीच लगान के वितरण के करार द्वारा किया जाता है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण एकल खातो में भूमि विनिमय के [illegible]तोष से प्रस्तुत किया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 48 के अन्तर्गत निर्धारित स्टाम्प डयूटी के तहत न्यायालय तहसीलदार राजस्व के समक्ष प्रस्तुत कर की जा सकती है। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमा इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

डिप्टी सिंह आदि बनाम अमरजीत कौर अदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 76/2023

निर्णय दिनांक :- 07.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व प्रतिवादी काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 07.06.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गइ

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested